कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक........../स्वशासी/स्था/अराज/एमसी/2021 रीवा, दिनांक ....

आदेश

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी–5–2–2018/1/03 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 द्वारा जारी संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों के नियुक्ति के अवसर प्रदान किये जाने हेतु नीति–निर्देश के पालन में कार्यालयीन विज्ञप्ति क्र. 6648/स्वशासी/स्था/एमसी/2021 रीवा, दिनांक 31/03/2021 के अनुक्रम में दिनांक 26/04/2021 को जारी अंतिम चयन सूची में से प्रावीण्यता क्रम में रहे निम्नलिखित उम्मीदवारों की नियुक्ति स्टाफ नर्स के पद पर अग्रिम आदेश तक वेतनमान **रूपये 5200–20200+2800 के तत्स्थानी पुनरीक्षित सातवें वेतन के लेवल–7** में न्यूनतम वेतन रूपये–28700/– प्रति माह एवं शासन द्वारा समय–समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ अस्थायी रुप से प्रथम 03 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक मानदेय रू. 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) पर एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान करते हुए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा में पदस्थ किया जाता है :–

क्र	नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी
1	ममता पटेल पित श्री महावीर पटेल	द्वारा – उमेश चन्द्र श्रीवास्तव, नेहरू कान्वेंट स्कूल के पास सुभाषगंज वार्ड नंबर 21 उमरिया (म.प्र.) 484661	अनारक्षित
2	राजू प्रजापति पिता श्री रामसंजीवन प्रजापति	वार्ड नं. 25 मकान नं. 9 द्वारिका नगर, तह. हूजूर थाना समान रीवा (म. प्र.) 486001	अनुसूचित जाति
3	शैलजा सिंह पिता श्री प्रभाकर सिंह	09 नं. डॉ. कालोनी वार्ड नंबर 14 उमरिया (म.प्र.) 484661	अन्य पिछड़ा वर्ग (दिव्यांगजन)
4	ज्योत्स्ना तिवारी पिता श्री मुन्नालाल तिवारी	एम.एल. तिवारी मकान नंबर 16/695 वार्ड नं. 16 इनफ्रांट ऑफ बजरंग नगर गेट, रवीन्द्र नगर उर्रहट हुजूर रीवा (म.प्र.) 486001	अनारक्षित
5	नरहरि पटेल पिता श्री प्रभाकर सिंह	वार्ड नं. 14 एच/29 नंबर डॉक्टर कालोनी उमरिया (म.प्र.) 484661	अनारक्षित
6	कल्पना साहू पति श्री कपिल साहू	गयादीन तिगड्डा कांच मंदिर बड़ा बाजार सागर (म.प्र.) 470002	अनारक्षित

क्रमशः 02

C:\Users\intel\Desktop\Non Gazetted\SSB Staff Nurse-22619\Joining Order 2021.docx

क्र	नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी
7	श्वेता मिश्रा पिता श्री उमेश कुमार मिश्रा	गोस्वामी एक्सरे के सामने बडी दरगाह के पीछे, अमहिया रीवा (म.प्र.) 486001	अनारक्षित
8	दुर्गा मिश्रा पिता श्री विजय शंकर मिश्रा	कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय, रीवा (म.प्र.) 486001	ई.डब्ल्यू. एस.
9	दीपिका सिंह पटेल पिता श्री अशोक सिंह	11/658 इन्द्रानगर रीवा (म.प्र.) 486001	अन्य पिछड़ा वर्ग
10	संध्या पटेल पति श्री अखलेन्द्र सिंह	वार्ड नंबर 10 कैम्प उमरिया (म.प्र.) 484661	अन्य पिछड़ा वर्ग
11	सिद्दीका बानो पति श्री इम्तियाज अली	ग्राम चंदनिया पोस्ट अमिलिया तहसील पाली जिला उमरिया (म.प्र.) 484801	अन्य पिछड़ा वर्ग
12	ज्योत्स्ना पाण्डेय पिता श्री योगेन्द्र कुमार पाण्डेय	धोबिया टंकी के पास काटरा मोहल्ला रीवा (म.प्र.) 486001	ई.डब्ल्यू. एस.
13	संगीता पटेल पिता श्री राजरूप पटेल	14/634 संजय नगर समन नाका रीवा (म.प्र.) 486001	अन्य पिछड़ा वर्ग
14	विमला पटेल पति श्री प्रदीप पटेल	ग्राम पो. सिलपरी थाना तहसील मनगवां जिला रीवा (म.प्र.) 486338	अन्य पिछड़ा वर्ग
15	नीलेश विश्वकर्मा पिता श्री शंकर प्रसाद विश्वकर्मा	शासकीय विद्यालय के सामने कुरियान टोला के पास वार्ड नंबर 28 रीवा (म. प्र.) 486001	अन्य पिछड़ा वर्ग
16	निशा मिश्रा पति श्री पुष्पराज कुमार मिश्रा	ग्राम बूढा. पोस्ट शिवराजपुर थाना तहसील नई गढ़ी रीवा (म.प्र.) 486340	ई.डब्ल्यू. एस.
17	उमिला प्रजापति पिता श्री ददई प्रसाद प्रजापति	वार्ड नं. 15 धुरेहटा पोस्ट मउगंज तहसील मउगंज जिला रीवा (म.प्र.) 486331	अनुसूचित जाति
18	विद्यावती साकेत पति श्री शिवप्रसाद साकेत	अनन्तपुर रीवा (म.प्र.) 486001	अनुसूचित जाति
19	प्रीती महार पिता श्री किशन प्रसाद महार	धोबिया टंकी के पास काटरा मोहल्ला रीवा (म.प्र.) 486001	अनुसूचित जाति

क्रमशः 03

नियुक्ति की शर्तें:—

1. आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के अंदर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय कार्यालय में उपस्थित प्रतिवेदन देना (कार्यभार ग्रहण) अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
2. यह नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी—5—2—2018/1/03 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 में उल्लेखित कंडिकाओं के अधीन है।
3. उपस्थित प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक—एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण—पत्र प्राप्त कर उपस्थित प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3—13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
6. परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
7. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान **रूपये 5200—20200+2800 के तत्स्थानी पुनरीक्षित सातवें वेतन के लेवल—7** में न्यूनतम वेतन रूपये—28700/— प्रति माह एवं शासन द्वारा समय—समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
8. सेवायें नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोडने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धियां) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।
9. नियुक्त व्यक्ति म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम, 2018" के अधीन शासित होंगे।
10. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
11. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण—पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
12. नियुक्त व्यक्ति को 50/—रूपये के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
13. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

क्रमशः 04

14. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत व्यक्ति को उपस्थिति के समय–पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र अथवा सेवारत न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. स्टाफ नर्स की ड्यूटी अवधि तीन पालियों मे होगी। प्रथम पाली प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक, द्वितीय पाली दोपहर 01:00 बजे से शायं काल 07:00 बजे तक तथा तृतीय पाली शायं 07:00 बजे से अगले दिन प्रातः 07:00 बजे तक होगी। प्रमुख पारिचारिका द्वारा रोस्टर अनुसार जिस पाली में ड्यूटी लगाई जावेगी उस पाली मे ड्यूटी करना तथा स्टाफ नर्स के लिए लागू ड्यूटी नियमावली का पालन करना अनिवार्य होगा। लगाई गई ड्यूटी न करने की शिकायत प्राप्त होने पर म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
16. नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नही होगा।

<u>नोटः–</u> **प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनतातियों एवं अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।**

(डॉ. मनोज इन्दूरकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

पृ.क्र. 8509-16 स्था/अराज/एमसी/2021, रीवा, दिनांक 26-11-2021

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
4. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष कार्याकारिणी समिति, स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
5. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा।
6. अधीक्षक, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा।
7. कार्यालय लेखाशाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की ओर लेख है कि, संबंधित का वेतन भुगतान मांग संख्या 52 – 2210 – 01 – 110 – 1353 – 0101 – 42 –002 (सहायक अनुदान मद) में विकलनीय होगा।
8. संबधित की ओर भेजकर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रू. 4/– का ट्रेजरी चालान हेड़–0210–01–800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)